HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2583/2025

In

S.B. Criminal Appeal No.3306/2025

Sanjay Singh Raghav S/o Mahendra Singh Raghav, Aged About 32 Years, R/o- Village Basai, Tehsil And Police Station Behror, District Kotputli, Behror, At Present Tenant At House No. 416, Jaswant Nagar, Khatipura, Police Station Vaishali Nagar, Jaipur. (At Present Confine Dat Central Jail Ghategate Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Krishan Chander Sharma & Mr. Vaibhav Pandey
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

25/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **संजय सिंह राघव** की ओर से विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, संख्या–03, जयपुर महानगर–द्वितीय** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**25/2024, सरकार बनाम संजय सिंह राघव** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **20.11.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है, अपीलार्थी/अभियुक्त निर्णय की दिनांक 20.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा वह विचारण के दौरान भी लगभग दो माह तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है। उनका यह भी तर्क रहा है कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। बचाव पक्ष की ओर से डी.डब्ल्यू–1 के रूप में विश्वजीत सिंह शेखावत के बयान कराए गए हैं, विचारण न्यायालय द्वारा साक्षीगण एवं उक्त सभी तथ्यों पर समग्र रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया है, उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, विचारण के दौरान आई साक्षीगण की साक्ष्य एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः विचारण के दौरान आई साक्षीगण की साक्ष्य की प्रकृति, अपीलार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **25.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **संजय सिंह राघव पुत्र श्री महेन्द्र सिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

ग

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /27